		[illegible] पेश हो दिनांक 1-2-23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज.)
1-2-23		पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण की मिसल [illegible] कागजात शामिल मिसल किया गया पत्रावली बाद फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 64 / 22 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 13–07–2022 श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. लाडा देवी पत्नी सीताराम जाति मीना उम्र 50 वर्ष निवीस प्लाट नं0 32 आरके पुरम चकगैटोर पोस्ट श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

(प्रार्थीनी)

बनाम

1. मुकेश
2. हंसराज
3. बाबूलाल } पि0 जगदीश
4. कमलेश
5. दिनेश
6. केशुला पत्नी जगदीश
7. प्रहलाद पुत्र मुलचन्द
8. बत्तीलाल पुत्र मूलचन्द
9. रूमाली पुत्री मूलचन्द
10. लाली पुत्री मूलचन्द
11. कमली पत्नी कालूराम
12. अशोक पुत्र कालूराम
13. संतोषी पुत्री कालूराम

} जाति मीना निवासी ग्राम मुण्डिया तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

14. उपपंजीयक लालसोट जिला दौसा
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 01–02–2023

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

Scanned with CamScanner

हाईकोर्ट) पेज नं0 325, आरबीजे 2018 (रेवन्यू बोर्ड) पेज नं0 504, आरबीजे 1996 (रेवन्यु बोर्ड) पेज नं0 483, आरबीजे 2018 (रेवन्यू बोर्ड) पेज नं0 499, आरआरटी 2012 (2) (रेवन्यू बोर्ड) पेज नं0 1439, आरआरटी 2016–17 (सुप्रिम) पेज नं0 637, आरआरटी 2015 (1) (रेवन्यू बोर्ड) पेज नं0 560, आरआरटी 2013–14 (1) (सुप्रिम) पेज नं0 285, आरआरटी 2006 (रेवन्यू बोर्ड) पेज नं0 1410 पेश किये। मेरी राय मे प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अपना कब्जा विवादित भूमि पर होने का कथन अंकित किया है चुकी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए तीन बिन्दुओ का साबित किया जाना जरूरी है।

1. प्रथम दृष्ट्या केस
2. सुविधा की तुला
3. अपुरणिय क्षति

जहां तक प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का यदि अवलोकन किया जावे तो प्रार्थीया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तोवजात प्रस्तुत किये है उनसे भी भली प्रकार यह साबित नही हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे जो अभिवचन न्यायालय के समक्ष पेश किये है उनसे भी प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष मे सुस्थापित नही हो रहा है ऐसी सुरत मे प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्टया साबित नही कर पाया है।

जहां तक सुविधा की तुला का प्रथम है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 भूमि का रिकाडेर्ड खातेदार है यदि अप्रार्थी को मेरे विनम्र मत में अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है तो असुविधा प्रार्थीया को नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 को ही होगी इस प्रकार अपूरणीय क्षति का प्रश्न है कि ऐसी क्षति जिसकी भरपाई नही की जाती सकती है। हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से प्रथम दृष्ट्या केस दस्तावेजी साक्ष्य से व मौखिक साक्ष्य से तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टन्तो की रोशनी मे अपुरणिय क्षति का जहां तक प्रश्न है वह भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 को ही होने का अंदेशा है। ऐसी स्थित मे मेरे विन्रम मत मे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तिनो बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपुराणिय क्षति इन तीनो बिन्दुओ को प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित करने मे विफल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बूंदी (राज०)

Scanned with CamScanner

रहे है अतः मेरी राय मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाना न्यायोचि प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया की ओर से आराजी खसरा नं. 170/7 रकबा 07 बीघा बाकै ग्राम मुण्डिया तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

Scanned with CamScanner